Act No. 24 of 2013

2013 का विधेयक संख्यांक 18

हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथापारित)

हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 34 का संशोधन।
3. 2013 के अध्यादेश संख्यांक 1 का निरसन और व्यावृत्तियां।

2013 का विधेयक संख्यांक 18

हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथापारित)

हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 3) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह 14 फरवरी, 2013 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

धारा 34 का संशोधन।

1969 का 3

2. हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 की धारा 34 की उपधारा (2) के प्रथम और द्वितीय परन्तुक का लोप किया जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित नई उपधाराएं (2–क) और (2–कक) अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"(2–क) प्रबन्ध समिति, यथाशक्य शीघ्र, इसके निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से प्रबन्ध समिति के, यथास्थिति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्रधान, उप–प्रधान निर्वाचित करेगी।

(2–कक) उपधारा (2–क) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार ने–

(i) किसी सहकारी सोसाइटी की शेयर पूंजी का अभिदान; या

(ii) धारा 48 के अधीन यथा उपबन्धित सहकारी सोसाइटी की शेयर पूंजी के निर्माण या संवर्धन में अप्रत्यक्षतः सहयोग; या

(iii) किसी सोसाइटी को मूल रकम के प्रतिसंदाय और ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज के संदाय की गारंटी,

पचास लाख रूपए तक या इससे अधिक किया है या दी है, तो वहां राज्य सरकार, धारा 35 के अधीन नामनिर्दिष्ट किसी एक सदस्य को ऐसी सोसाइटी की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकेगी:

परन्तु प्रबन्ध समिति का कोई भी सदस्य, ऐसी सहकारी सोसाइटी की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या प्रधान या उप–प्रधान के रूप में निर्वाचित या नियुक्त किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि ऐसा सदस्य राज्य सरकार में मन्त्री है।"।

2013 के अध्यादेश संख्यांक 1 का निरसन और व्यावृत्तियां।

3. (1) हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2013 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई कार्रवाई या बात इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी।

यह विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किया गया है ।

अध्यक्ष ।

शिमला।

शिमला–171004.

शिमला: 30–4–2013

मैं इस विधेयक पर अनुमति देता हूँ

राज्यपाल

हिमाचल प्रदेश

शिमला–171002.

शिमला: 20–8–2013

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 18 OF 2013

The Himachal Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2013

(AS PASSED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2013

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 34.
3. Repeal of Ordinance No. 1 of 2013 and savings.

THE HIMACHAL PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2013

(AS PASSED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (Act No.3 of 1969).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force on 14th day of February, 2013.

Amendment of section 34.

3 of 1969

2. In section 34 of the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968, in sub-section (2), the first and second provisos shall be omitted and thereafter, the following new sub-sections (2-A) and (2-AA) shall be inserted, namely:—

"**(2-A).** The managing committee shall, as soon as may be, elect from amongst its elected or nominated members a Chairman, Vice-Chairman; or a President, Vice-President, as the case may be, of the managing committee.

(2-AA). Notwithstanding anything contained in sub-section (2-A), where the State Government has—

(i) subscribed to the share capital of a co-operative society, or

(ii) assisted indirectly in the formation or augmentation of the share capital of a co-operative society as provided under section 48, or

(iii) guaranteed the repayment of principal amount and payment of interest on loans and advances to a society,

to the extent of rupees fifty lakhs or more, the State Government may appoint, one of the members nominated under section 35, as Chairman of the managing committee of such society:

Provided that no member of a managing committee shall be eligible to be elected or appointed as Chairman or Vice-Chairman or President or Vice-President of the managing committee of such society, if such member is a Minister in the State Government.".

Repeal of Ordinance No.1. of 2013 and savings.

3. (1) The Himachal Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2013 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

मैं, "हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्याक 18)" के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करती हूँ ।

राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश।
राज्यपाल
हिमाचल प्रदेश

राज्यपाल ने "हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्याक 18)" के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

चिराग भानू सिंह
सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।